

## कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ़

क्रमांक:-लेखा/देव/गोगामेडी/2022/2464

दिनांक:- 30/9/22

## गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह की अस्थाई दुकाने लगाने हेतु रिक्त भूमि की ऑन-लाईन (ई-बोली) सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह के लिए मेला वर्ष 2023 के प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक ऑन लाईन बोली दिनांक 09.09.2022 व 19.09.2022 में शेष रही अस्थाई दुकाने/भूखण्ड हेतु रिक्त भूमि को किराये पर देने हेतु संशोधित आरक्षित मूल्य एवं अमानत राशि पर ऑन-लाईन ई-बोली [www.zilahanumangarh.in](http://www.zilahanumangarh.in) पर लॉग-इन कर पंजीयन शुल्क 200/- ऑन-लाईन खाते में जमा करवाने के पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति एवं निर्धारित अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जिला परिषद के पीछे हनुमानगढ़ में जमा करवाकर ई-बोली लगा सकता है।

ऑन-लाईन बोली से संबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट [www.devsthan.rajasthan.gov.in](http://www.devsthan.rajasthan.gov.in), [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in), [www.zilahanumangarh.in](http://www.zilahanumangarh.in) पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	विवरण	दिनांक
1.	पंजीयन प्रारम्भ की दिनांक	04.10.2022
2.	पंजीयन करने की अन्तिम दिनांक	10.10.2022
3.	पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक	11.10.2022 सांय 06.00 बजे तक
4.	ऑन-लाईन बोली प्रारम्भ की दिनांक	12.10.2022
5.	ऑन-लाईन बोली लगाने की अन्तिम दिनांक	कुल 125 अस्थाई दुकाने/भूखण्ड (अस्थाई दुकानों/भूखण्डों की सूची कार्यालय समय में कार्यालय देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ एवं जिला हनुमानगढ़ पोर्टल पर देखी जा सकती है) 17.10.2022 दोपहर 04.00 बजे तक

इस कार्यालय द्वारा जारी ऑन लाईन निलामी सूचना लेखा/देव/गोगामेडी/2022/2119 दिनांक 30.08.2022 व 2240 दिनांक 11.09.2022 में अंकित शर्तें अक्षरशः यथावत रहेंगी।

सहायक आयुक्त  
देवस्थान विभाग  
हनुमानगढ़